

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

-: आदेश :-

क्रमांक/ 1311/जि.पं/व्या.पं./2017-18/

कांकेर,दिनांक 15/12/2017

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 11591/जि.पं./व्या.पं./2017-18 कांकेर दिनांक 23.11.2017 के द्वारा शिक्षक पंचायत से व्याख्याता पंचायत के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया था । संबंधित द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर निम्नलिखित व्याख्याता पंचायत को कालम नम्बर 09 में अंकित शाला एवं 10 में अंकित विकास खण्ड में संशोधन कर पदस्थ किया जाता है ।

क्रमांक	व्याख्याता पंचायत का नाम	जाति	वर्तमान पदांकित संस्था का नाम	विकास खण्ड	आरक्षण प्रवर्ग	पदोन्नति उपरांत पदांकित संस्था का नाम	विकास खण्ड	संशोधित पदांकित शाला का नाम	विकास खण्ड का नाम	स्नातकोत्तर विषय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अंग्रेजी											
7	श्री विश्वास ठाकुर	अजजा	मा.शा. नेडगांव	दुर्गुकोदल	UR	शा.उ.मा.वि. दमकसा	दुर्गुकोदल	शा.उ.मा.वि. तराईघोटीय	दुर्गुकोदल	अंग्रेजी	

शेष निर्देश पूर्ववत रहेगा ।

15/12/17
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ0 क्रमांक/ 12/20 /जि.पं/व्या.पं./2016-17/

कांकेर,दिनांक 15/12/2017

प्रतिलिपि:-

- अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर
- संचालक, पंचायत संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
- कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ ।
- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला - कांकेर को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को जिले के सामाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित
- डी.पी.एम. जिला पंचायत कांकेर को जिला पंचायत के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्डजिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु । वे संबंधितों के उपस्थिति प्रतिवेदन तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
- प्राचार्य शा.उ.मा.वि/ हाई स्कूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । वे संबंधितों का उपस्थिति प्रतिवेदन खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें ।


प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शालाजिला उ.ब. कांकेर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । संबंधित को तत्काल भारमुक्त करें ।

संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी.....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । वे दिनांक 26 12.2017 तक पदोन्नत संस्था में पदभार ग्रहण करें । समयावधि में पदभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश निरस्त माना जावेगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

14 सहायक परियोजना अधिकारी (स्थापना शाखा) जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ ।

15 आदेश नस्ती हेतु ।

16 व्याक्तिगत नस्ती हेतु ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर